

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

GENERAL Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN from 57 - BASSI (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

LAXMAN MEENA, GRAM - SIYAKABAS, POST - TOONGA, TEHSIL - BASSI, JAIPUR. sponsored by INDEPENDENT has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - COMMERCE COLLEGE, J.L.N. MARG, JAIPUR.

Date - 11-12-2018

(RAMKUMAR VERMA)  
RETURNING OFFICER

(SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE BASSI)  
LEGISLATIVE ASSEMBLY CONTITUENCY BASSI - 57 (ST)

## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

### (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

57-बस्सी (अजजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री लक्ष्मण मीणा,

ग्राम सियाकाबास, पोस्ट तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर जो निर्दलीय खड़े हुए है।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- कॉमर्स कालेज, जे0एल0एन0 मार्ग, जयपुर।

तारीख- 11.12.2018



(रामकुमार वर्मा)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी (057)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी